

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 102/19 ता0रजु 19.1.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

बल्लु पुत्र मोहर सिंह

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा मल्का ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा मल्का के खसरा नम्बर 1315 रकवा 16.80 हैक्ट. किस्म भूमि चरगा पर सम्बत 2076 में श्री बल्लु पुत्र मोहर सिंह द्वारा कपुरा मल्का तह0 बयाना ने 0020 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भूअ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भूअ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भूअ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से वेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1315 रकवा 0020 हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा मल्का से वेदखल किया जाता है। लगान 0080 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 40 रु रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी धसूली खडी फरला को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ वेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। वाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 15/1/20
वेदखली का 40 रु
ब. ज. नं. 04 के वेज नं 28

नयायल न्यायिक न्यायालय
नयायल न्यायालय

प्रहसीलदार
बयाना